



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253141
CG-DL-E-16032024-253141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1316]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 1316]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ.1382(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ.- 2043 (अ) दिनांक 22 मई, 2018 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग-(II), खण्ड-3, उपखण्ड (ii) 2043 (अ) दिनांक 22 मई, 2018 के दिनांकित में निम्ननांकित संशोधन करती है।

अधिसूचना संख्या का.आ.- 2043 (अ) दिनांक 22 मई, 2018) में	संशोधित
सक्षम प्राधिकारी - भूमि सुधार उप समाहर्ता पदाधिकारी, नवगछिया	सक्षम प्राधिकारी-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर

नोट :- “(बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 106 के कि.मी. 106.00 से कि.मी.136.00 तक (बीरपुर-बिहपुर खंड) पर भूमि का अधिग्रहण)” के लिये सक्षम प्राधिकारी- भूमि सुधार उप समाहर्ता पदाधिकारी, नवगछिया के जगह पर सक्षम प्राधिकारी - जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को नामित किया जाता है।

अनुसूची

(बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 106 के कि.मी. 106.00 से कि.मी. 136.00 तक (बीरपुर-बिहपुर खंड)
पर भूमि का अधिग्रहण)"

भागलपुर जिले में इस परियोजना के सक्षम प्राधिकारी के बदलने के कारण

[फा. सं. RW/PAT/NH-106/Km 127.440- Km 134.918/LA/2018-19]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1382(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2043 (E), dated the 22nd May, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) dated the S.O. 2043(E), dated the 22nd May, 2018 namely:-

In the said notification (S.O. 2043 (E), dated the 22nd May, 2018)	Amended
Competent Authority- Deputy Collector Land Reforms Officer, Naugachia	Competent Authority- District Land Acquisition Officer, Bhagalpur

Note:- District Land Acquisition Officer, Bhagalpur is Nominated the Competent Authority Land Acquisition in place of Deputy Collector Land Reforms Officer, Naugachia for land Acquisition.

SCHEDULE

Acquisition of land National Highway No. 106 (Birpur-Bihpur Section) From Km. 106.00 to Km 136.00 in the State of Bihar.

Due to change of competent authority of this project

[F. No. RW/PAT/NH-106/Km 127.440- Km 134.918/LA/2018-19]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.